Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. KP/6/2018/STGRJ/SEHRMT/RU-II — दिनांकः 22–11–2018

सिटिंग नोटिस

विषयः राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक प्र. का जोधपुर द्वारा समान व एक ही प्रकरण में (Same set of facts) असमान निर्णय लेकर जातिगत भेदभाव बरतते हुए दुर्भावनापूर्वक व पक्षपात पूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में परिवेदना।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री हरीकृष्ण दामोर, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **12–12–2018 को 11.30 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24657271

सेवा में,

श्रीमान अनुशासनात्मक प्राधिकारी महोदय,
एवं अध्यक्ष राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय तुलसी टावर,
9 वी 'बी' रोड़ – सरदारपुरा,
जोधपुर (राज.)